उत्तर प्रदेश सरकार
संस्कृति अनुभाग
संख्याः 2812 /चार–2024
लखनऊः दिनांक 28/09/2024

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थानों और अवशेषों का परिरक्षण अधिनियम, 1956 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–7, 1957) के अधीन उत्तर प्रदेश में प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थानों और अवशेषों पर यथा प्रयोज्य एन्शियेंन्ट मानूमेन्टस प्रिजर्वेशन एक्ट 1904 (अधिनियम संख्या–7, 1904) की धारा–3 की उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल महोदय द्वारा नीचे अनुसूची में वर्णित प्राचीन स्मारकों/स्थलों को संरक्षित किया गया था। परन्तु पुरातत्व परामर्शदात्री समिति की बैठक 29 अगस्त, 2024 की संस्तुति के अनुक्रम में निम्न स्मारक को असंरक्षित घोषित करते हैं :–

अनुसूची

क्र0 सं0	राज्य	जिला	तहसील और ग्राम	स्मारक/स्थान का नाम	पूर्व में जारी विज्ञप्ति संख्या–5653/चार–10(29)/61 दिनांक 03 मई, 1967			
					संरक्षण के अधीन लिये जाने वाली राजस्व गाटा सं.	क्षेत्रफल हेक्टेयर/एकड़ में	सीमाएं	असंरक्षित घोषित करने का कारण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	उत्तर प्रदेश	लखनऊ	सदर	आलमबाग भवन	–	–	–	एडाप्टिव री–यूज किये जाने के उद्देश्य से धरोहरों का रख–रखाव सुनिश्चित करते हुए पी0पी0पी0 मॉडल पर हेरिटेज होटल विकसित किया जाना है।

सूचना

उपर्युक्त अधिसूचना निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में यदि कोई आपत्तियां हों तो, प्रमुख सचिव, संस्कृति विभाग, उ0प्र0 शासन, बापू भवन, सचिवालय, लखनऊ, निदेशक, उ0प्र0 राज्य पुरातत्व विभाग, छतर मंजिल परिसर, कैसरबाग, लखनऊ अथवा जिलाधिकारी, लखनऊ को सम्बोधित करते हुए लिखित रूप में भेजी जा सकती है। केवल उन्हीं आपत्तियों पर विचार किया जायेगा, जो इस अधिसूचना के निरस्त होने के दिनांक से एक माह के भीतर प्राप्त होगी।

आज्ञा से,

(उमा द्विवेदी)
संयुक्त सचिव

संख्या 2812 / -चार- (2024) / तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, धरोहर भवन भारत सरकार, नई दिल्ली।

2— निदेशक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।

3— निदेशक, उ0प्र0 राज्य पुरातत्व विभाग, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि इस अधिसूचना को स्मारक पर या उसके निकट किसी सहज दृश्य स्थान पर चस्पा करायें एवं यदि कोई आपत्ति निर्धारित अवधि में प्राप्त होती है तो उसे शासन को प्रेषित करें।

4— मण्डलायुक्त, लखनऊ।

5— जिलाधिकारी, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि निर्धारित अवधि के अन्दर यदि कोई प्राप्त आपत्तियां प्राप्त हो, तो अपनी टिप्पणी के साथ शासन को प्रेषित करने का कष्ट करें।

6— वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, लखनऊ।

7— अधीक्षक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश प्रयागराज को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उपरोक्त विज्ञप्ति को उत्तर प्रदेश गजट के आगामी अंक में प्रकाशित करने का कष्ट करें।

आज्ञा से

(रघुनाथ प्रसाद वर्मा)
अनु सचिव